

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 253] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 4, 1972/आश्विन 12, 1894

No. 253] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 1972/ASVINA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October 1972

G.S.R. 426(E).—In pursuance of clause (q) of section 3 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), the Central Government hereby specifies the date mentioned in column 2 of the Table below as the specified date

(2001)

for the purpose of the provisions of the Act specified against such date in the corresponding entries in column 1 of the said Table.

THE TABLE

Provision of the Act	Specified date
1	2
1. Section 19.	1-9-1972.
2. Sub-section (2) of section 22.	31-3-1973.
3. Sub-section (4) of section 22 and the proviso to this sub-section.	31-10-1972.

[No. 19/26/72-CI.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अत्रिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1972

सा० का० नि० 426(अ) —कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 3 के खण्ड (थ) के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित तारीख को, उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में ऐसी तारीख के समक्ष विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजन के लिए, विनिर्दिष्ट तारीख के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

सारणी

अधिनियम के उपबन्ध	विनिर्दिष्ट तारीख
1	2
1. धारा 19	1-9-1972
2. धारा 22 की उपधारा (3)	31-3-1973
3. धारा 22 की उपधारा (4) और इस उपधारा के साथ परन्तुक	31-10-1972

[सं० 19/26/72-को I]

ORDER

New Delhi, the 4th October 1972

G.S.R. 427(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 (36 of 1972), and in supersession of the order of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. G.S.R. 380(E), dated the 17th August, 1972, the Central Government hereby directs that the right, title and interest of the owner of each of the coking coal mines specified against Serial Nos. 2 to 8 (both inclusive) of the First Schedule to the said Act shall, with effect from the 1st day of May, 1972, vest in the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi. a

Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and having its registered office at Ranchi in the State of Bihar and that the right, title and interest of the owner in respect of the coking coal mine specified against Serial No. 1 (viz., Dhori) shall, with effect from the 17th day of August, 1972, vest in the said Corporation.

[No. 19/26/72-CI.]

S. K. GUHA, Jt. Secy.

आदेश

दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1972

सा० का० नि० 427(अ).—कोककारी कोयला (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 36) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) के आदेश संख्या सा० का० नि० 380 (अ) तारीख 17 अगस्त, 1972 को अधिकांत करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की क्रम संख्या 2 से 8 तक (दोनों को सम्मिलित करके) के समक्ष विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खानों में प्रत्येक खान के स्वामी का अधिकार, हक और हित 1 मई, 1972 से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची में जो कि, 'कम्पनी अधिनियम' 1956 (1956 का 1) के अधीन निर्गमित सरकारी कम्पनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में स्थित है, निहित हो जाएंगे और क्रम संख्या 1 (अर्थात् धोरी) के समक्ष विनिर्दिष्ट कोककारी कोयला खान के बारे में अधिकारी हक और हित, 17 अगस्त, 1972 से उक्त निगम में निहित हो जाएंगे।

[सं० 19/26/72-को० 1]

एम० के० गुहा, संयुक्त सचिव।

